न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल (I.A.S)
इंतकाल अपील : 21/2023
तारीख रजू : 14.09.2023 निर्णय दिनांक : 15.10.2024

उनवान

1. सोना उर्फ सोनिया पुत्र स्व. शंकर (मृतक)
1/1 ग्यारसी देवी पत्नी स्व. सोना उर्फ सोनिया
1/2 बख्तावर पुत्र स्व. सोना उर्फ सोनिया
1/3 लीलाराम पुत्र स्व. सोना उर्फ सोनिया
1/4 धनसी पुत्र स्व. सोना उर्फ सोनिया
1/5 कर्णसिंह पुत्र स्व. सोना उर्फ सोनिया
जातियान गुर्जर निवासीयान पहाड़ी तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़
1/6 चिड़िया देवी पुत्री स्व. सोना उर्फ सोनिया पत्नी बनवारी जाति गुर्जर निवासी पहाड़ी तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ हाल ग्राम दुदवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.
1/7 इमरती देवी पुत्री स्व. सोना उर्फ सोनिया पत्नी हेमराज जाति गुर्जर निवासी पहाड़ी तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ हाल ग्राम दुदवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.
1/8 लाली देवी पुत्री स्व. सोना उर्फ सोनिया पत्नी रोहिताश जाति गुर्जर निवासी पहाड़ी तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ हाल ग्राम दुदवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.
1/9 कल्ली देवी पुत्री स्व. सोना उर्फ सोनिया पत्नी महावीर जाति गुर्जर निवासी पहाड़ी तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ हाल ग्राम दुदवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.
2. लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. ख्याली
3. बादामी स्त्री स्व. ख्याली
जातियान गुर्जर निवासीयान ग्राम पहाड़ी तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़

.....अपीलान्टस्

बनाम

1. रामावतार पुत्र प्रभु
2. महावीर पुत्र प्रभु
3. भागीरथ पुत्र प्रभु
4. कैलाश पुत्र प्रभु
5. धूमली पत्नी पूर्णमल
6. महेन्द्र पुत्र पूर्णमल
7. घनश्याम पुत्र पूर्णमल
8. रमेश पुत्र पूर्णमल
9. श्योबाई स्त्री फूला
10. जंगली पुत्र फूला
11. कृष्ण कुमार पुत्र फूला
12. मामचन्द पुत्र फूला
13. मक्खन पुत्र सीता
14. श्योराम पुत्र सीता
15. गणपत पुत्र सीता
16. रामस्वरूप पुत्र सीता
17. छुटटन पुत्र सीता
जातियान गुर्जर निवासीयान ग्राम पहाड़ी तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज.
18. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज.

....रेस्पोडेन्ट्स

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

अपील विरूद्ध इतकाल संख्या 985 व 986 वाके ग्राम पहाड़ी तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ तस्दीक आदेश दिनांक 30.01.2008 जो न्यायालय तहसीलदार बहरोड़ द्वारा गलत रूप से विभाजन आपसी सहमति के मुताबिक स्वीकार किये गये। अपास्त किये जाने उक्त हर दो इंतकाल व दीगर दादरसी हेतु।

उपस्थित अधिवक्तागण :

1. श्री मनीष खन्ना अधिवक्ता अपीलान्टस् की ओर से,
2. श्री जयप्रकाश शर्मा अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 01 से 17 की ओर से,

।। निर्णय ।।

राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनाक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली–बहरोड का सृजन किये जाने से उक्त अनुवानी पत्रावली न्यायायल जिला कलक्टर प्रथम अलवर से स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पत्रावली को दिनांक 14.09.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये गये। पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाने पर वकील पक्षकारान की मौखिक बहस सुनी गई।

अपीलान्टस् ने यह अपील विरूद्ध इतकाल संख्या 985 व 986 वाके ग्राम पहाड़ी तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ तस्दीक आदेश दिनांक 30.01.2008 स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। वकील अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का सुक्ष्म वृतांत इस प्रकार से है कि आराजी हाल खसरा नम्बरान 1381 रकबा 0.15 हैक्ट., 1432 रकबा 0.28 हैक्ट., 1433 रकबा 0.85 हैक्ट., 1447 रकबा 0.01 हैक्ट., गैर मु.चाह, 1448 रकबा 0.37 हैक्ट., 2158 रकबा 0.19 हैक्ट. 2159 रकबा 0.37 हैक्ट., 2162 रकबा 0.25 हैक्ट., 2163 रकबा 0.28 हैक्ट., 2165 रकबा 0.12 हैक्ट. 2166 रकबा 0.12, हैक्ट., 2167 रकबा 0.13 हैक्ट., 2167/2217 रकबा 0.11 हैक्ट., 2168 रकबा 0.15 हैक्ट., 2169 रकबा 0.10 हैक्ट., 2173 रकबा 0.16 हैक्ट., 2174 रकबा 0.35 हैक्ट., 2175 रकबा 0.22 हैक्ट., 2176 रकबा 0.17 हैक्ट., 1225 रकबा 0.13 हैक्ट., 2157 रकबा 0.24 हैक्ट.वाके ग्राम पहाडी तह बहरोड में अपीलान्टस् नं. 1 का 1/4 हिस्सा व अपीलान्टस् नं. 2 का 1/4 हिस्सा रेस्पॉडेन्ट नं. 1 लगा. 8 का 1/4 हिस्सा व रेस्पॉडेन्ट नं. 9 लगा. 12 का 1/4 हिस्सा था व इसी आराजी हाल खसरा नम्बरान 2026 रकबा 0.25 हैक्ट., 2032 रकबा 0.46 है., 2033 रकबा 0.18 हैक्ट., 2034 रकबा 0.12 हैक्ट., 2037 रकबा 0.19 हैक्ट., 2172 रकबा 0.32 हैक्ट., 206 रकबा 0.16 हैक्ट., 1437 रकबा 0.11 हैक्ट., 1438 रकबा 0.09 हैक्ट., 1439 रकबा 0.08 हैक्ट., 205 रकबा 0.32 हैक्ट, वाके ग्राम पहाडी में अपीलान्टस् नं. 1 व 2 प्रत्येक का 1/12, 1/12 हिस्सा, रेस्पॉडेन्ट नं. 1 लगा. 8 व रेस्पॉडेन्टस् नं. 9 लगा. 12 प्रत्येक का 1/12, 1/12 हिस्सा था व खसरा नम्बरान 2129 रकबा 0.47 हैक्ट., 2130 रकबा 0.32 हैक्ट., 2131 रकबा 0.06 हैक्ट., 2132 रकबा 0.50 हैक्ट. 2133 रकबा 0.39 हैक्ट., 2143 रकबा 0.14 हैक्ट., 2151 रकबा 0.08 हैक्ट., 2152 रकबा 0.07 हैक्ट. में अपीलान्टस् नं 1 व 2 प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा व रेस्पॉडेन्ट नं. 10, 11, 12 का 1/3 हिस्सा था व खसरा नं. 1006 रकबा 0.10 हैक्ट., खसरा नं. 1150 रकबा 0.06 हैक्ट., खसरा नं. 1151 रकबा 0.05 हैक्ट., खसरा नं. 1195 रकबा 0.08 हैक्ट., 892 रकबा 0.08 हैक्ट., 1484 रकबा 0.50 हैक्ट., वाके ग्राम पहाडी में अपीलान्टस् नं. एक का 1/8 हिस्ता, अपीलान्टस् नं. 2 व 3 का 1/8 हिस्सा, रेस्पॉडेन्ट नं. 1 लगा. 8 का 1/8 हिस्सा व रेस्पॉडेन्ट नं. 1 लगा. 12 का 1/8 हिस्सा था व रेस्पॉडेन्ट न. 13 लगा. 17 का 1/2 हिस्सा था व खसरा नं. 1436 रकबा 0.98 हैक्ट. मे अपीलान्टस् नं. 01 का 1/4 हिस्सा, अपीलान्टस् नं. 2 का 1/4 हिस्सा, रेस्पॉडेन्ट नं. 5 लगा. 8 का 1/10 हिस्सा, रेस्पॉडेन्ट नं. 2 व 4 का 2/10 हिस्सा व अन्य खातेदारान का हिस्सा था। उक्त विवादित इंतकाल नं. 985 व 986 में अपीलान्टस् के पक्ष में जितनी आराजी आनी चाहिऐ थी वो नही आई है व इंतकाल नं. 985 इन्तकाल नं. 986 के आधार पर रेस्पॉडेन्ट नं. 5 लगा. 8 के पास आई आराजी से रेस्पॉडेन्ट 13 लगा. 17 के साथ आपस मे किया है इस कारण से उक्त दो इंतकाल अपास्त किए जाने योग्य है। अपीलान्टस् अनपढ होने के कारण से रेस्पॉडेन्ट नं 1 लगा. 12 ने होने मुगालता देकर सहमतिपत्र पर धोखे से हस्ताक्षर अंगूठा निशानी करवा लिए व हमे उक्त विभाजन पत्र पढकर भी नहीं सुनाया व ना ही समझाया गया जबकि कानूनन अपीलान्टस् का जितना हिस्सा पहले था उतनी ही आराजी विभाजन के बाद आनी चाहिए थी जो नही आई है। विभाजन से पहले अपीलान्टस् नं. 1 के हिस्से में 2.46 है. आराजी थी व अपीलान्टस् नं. 2 के हिस्से मे 2.37 है. आराजी व अपीलान्टस् नं 3 के हिस्से मे 0.08 है आराजी थी, परन्तु अब कम आराजी आ रही है व अब अपीलान्टस् नं 2 व 3 का हिस्सा भी एक जगह ही दर्ज कर दिया है इस कारण से उक्त हर दो इन्तकाल अपास्त किए जान योग्य है। अन्त में वकील अपीलान्टस् ने निवेदन किया है कि अपील अपीलान्टस् स्वीकार फरमाई जाकर तहत अदालत तहसीलदार बहरोड द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2008 बाबत इंतकाल नंबर 985 व 986 वाके ग्राम पहाडी तहसील बहरोड

न्यायालय जिला कलक्टर ... सत्यमेव जयते ... बहरोड़ (राज.)

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

जिला अलवर नया जिला कोटपूतली बहरोड़ अपास्त फरमाया जाकर आराजीयात की पूर्ववत स्थिति यथावत किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में दर्ज तथ्यों को जाहिर करते हुए निवेदन किया कि अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में उल्लेखित तथ्य को जाहिर करते हुए अपील को अन्दर मियाद मानी जाने हेतु निवेदन किया। अपीलान्टस्रान अनपढ होने के कारण से रेस्पॉडेन्ट नं 1 लगा. 12 ने सहमतिपत्र पर धोखे से हस्ताक्षर अंगूठा निशानी करवा लिऐ व हमे अपीलान्टस्रान को उक्त विभाजन पत्र पढकर भी नहीं सुनाया व ना ही समझाया गया जबकि कानूनन अपीलान्टस् का जितना हिस्सा पहले था उतनी ही आराजी विभाजन के बाद आनी चाहिए थी जो नही आई है। विभाजन से पहले अपीलान्टस् नं. 1 के हिस्से में 2.46 है. आराजी थी व अपीलान्टस् नं. 2 के हिस्से मे 2.37 है. आराजी व अपीलान्टस् नं 3 के हिस्से मे 0.08 है आराजी थी, परन्तु अब कम आराजी आ रही है व अब अपीलान्टस् नं 2 व 3 का हिस्सा भी एक जगह ही दर्ज कर दिया है इसलिए इन्तकाल अपास्त किए जान योग्य है। अन्त में वकील अपीलान्टस् ने निवेदन किया है कि अपील अपीलान्टस् स्वीकार फरमाई जाकर तहत अदालत तहसीलदार बहरोड द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2008 बाबत इंतकाल नंबर 985 व 986 वाके ग्राम पहाडी तहसील बहरोड जिला अलवर नया जिला कोटपूतली बहरोड़ अपास्त फरमाया जाकर आराजीयात की पूर्ववत स्थिति यथावत किये जाने का आदेश फरमावें।

वकील रेस्पोडेंट सख्या 1 लगा. 17 ने उपस्थित होकर वकील अपीलाण्ट के कथनों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टस् ने इन्तकाल को सही करवाने के लिए अपीलान्टस् को कभी इन्कार नही किया है जबकि रेस्पोडेन्टस् आज भी इन्तकाल को सही करवाने के लिए तैयार है। इन्तकाल में गढबढ हुई है जिसको सही किये जाने पर रेस्पोडेन्टस् को कोई ऐतराज नही है। रेस्पोडेन्टस् ने अपीलान्टस् को किसी प्रकार से मुगालता में नही रखा है जबकि इन्तकाल में हुई गढबढ सहवन से हुई है। यदि अपील अपीलान्टस् स्वीकार की जाकर चाहा गया अनुतोष दिया जाता है तो रेस्पोडेन्टस् को कोई ऐतराज नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर विद्वान अधिवक्ता की बहस पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नर्मी का रूख अपनाते हुए विलम्ब की अवधि का माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाकर अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने वकुलाय की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इंतकाल संख्या 985 व 986 वाके ग्राम पहाडी तहसील बहरोड जिला अलवर नया जिला कोटपूतली बहरोड दिनांक 30.01.2008 को इन्तकाल आपसी सहमति से तहसीलदार बहरोड़ के द्वारा तस्दीक किया गया है। पक्षकारान द्वारा आपसी रजामंदी से किये गये विभाजन के आधार पर तहत के द्वारा पारित आदेश/निर्णय में किसी प्रकार की दखलअंदाजी करना उचित प्रतीत नही होता है। वकील अपीलान्टस् एवं वकील रेस्पोडेण्टस् की बहस प्रकरण में पूर्ण रूप से चस्पा नही होती है जिससे अपील अपीलान्टस् सारहीन प्रतीत होने के कारण खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्टस् की अपील खारिज की जाती है। निर्णय पत्रावली में संलग्न किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ (राज.)
सत्यमेव जयते